संख्या 15011/36/2022-जेयूएस (एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: **न्याय विभाग से संबंधित फरवरी, 2022 माह का मासिक सार।**

न्याय विभाग से संबंधित फरवरी, 2022 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. **बुनियादी सुविधा विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम:**

- (i) न्याय विभाग की केंद्रीय क्षेत्र के आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क अनुपालन/केंद्र प्रायोजित स्कीमों की प्रगति (ii) आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क समीक्षा बैठक 2020 से संबंधित कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा करने (iii) उसके परिणामों विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास की प्राप्ति की दिशा में प्राप्त परिणामों का मॉनिटर करने के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की बैठक दिनांक 09-02-2022 को नीति आयोग में आयोजित की गई।
- नीति आयोग की पीपीटी को अंतिम रूप देने के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की बैठक दिनांक 17-02- 2022 को न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ जे एस (जीआरआर) की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
- नीति आयोग के पीपीटी को अंतिम रूप देने के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की बैठक नीति आयोग के अधिकारियों के साथ न्याय विभाग के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 21-02-2022 को आयोजित की गई।

2. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर वेबीनार:** महिला कार्मिकों के लिए और सुरक्षित और भरोसेमंद कार्यस्थल परिवेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता से अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक वेबीनार दिनांक 18 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति में संचालित की गई।

3. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (ईएफटीसी): 397 विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों सहित 704 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं और डैशबोर्ड से प्राप्त इनपुट के अनुसार, जनवरी, 2021 तक इन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टों द्वारा 77000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया था।

4. **ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-।।**:

- **बजट:** ई कोर्ट परियोजना फेस-।।की कुल परिव्यय 1670 करोड़ रुपए है जिसमें से दिनांक 28-02-2022 तक न्याय विभाग द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों के लिए 1620.75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
- **वाइड एरिया नेटवर्क:** बीएसएनएल ने 2992 कोर्ट परिसरों में से 2961 कोर्ट परिसरों में 10 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के नेटवर्क चालू के हैं।

- **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड:** इस समय ईकोर्ट सेवा प्लेटफार्म के माध्यम से वादीगण इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 01-02-2022 तक के 19.81 करोड से अधिक मामलों की स्थिति सूचना और 16.61 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **वर्चुअल कोर्ट:**17 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.24 करोड़ से अधिक (1,24,60,335) मामलों को निपटाया गया है और दिनांक02-02-2022 तक 21 लाख से अधिक (21,45,341) मामलों में ₹221 करोड़ से अधिक (221.07) करोड़ रुपए रुपए का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया।
- **जस्टिस मोबाइल ऐप:0**2 फरवरी, 2022 तक जस्टिस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की कुल संख्या 16,961 पहुंच गई है।
- **ई कोर्ट मोबाइल ऐप:** वकीलों के लिए इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की कुल संख्या 01 फरवरी, 2022 तक 73.97 हो गई है।
- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ई ताल):** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन एकत्रीकरण एवं विश्लेषण लेयर (ई ताल) पोर्टल पर प्रकाशित डाटा के अनुसार ई कोर्ट पिछले 1 वर्ष में 367 करोड़ ट्रांजैक्शन वाला भारत में 5 मिशन मोड परियोजनाओं में से अग्रणी परियोजना है।
- **उच्चतम न्यायालय की समिति द्वारा संचालित प्रशिक्षण:** इस समिति ने मई, 2020 से दिसंबर, 2021 तक ईकोर्ट परियोजना के तहत प्रदत आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों, न्यायालय के स्टॉफ, न्यायाधीशों/डी एस ए के मध्य से मास्टर प्रशिक्षकों, उच्च न्यायालयों के तकनीकी स्टॉफ और वकीलों सहित 3,60,993 स्टेकहोल्डरों को शामिल किया गया।
- **मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ई प्रमाणपत्रों का डिजिटल वितरण:** भारत के उच्चतम न्यायालय की समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने 8 फरवरी, 2022 को मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ई प्रमाण पत्रों का डिजिटल संवितरण किया। वर्चुअल समारोह के दौरान चेयरपरसन, ई समिति ने मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ई प्रमाण पत्रों के डिजिटल वितरण का औपचारिक उद्घाटन किया।
- **जस्टिस क्लॉक:** दो और जस्टिस क्लॉक को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चालू किया गया है और इस प्रकार से 21 उच्च न्यायालयों में जस्टिस क्लॉक की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है।
- **भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

  क. मास्टर प्रशिक्षकों (न्यायिक अधिकारियों) के लिए **"सरकारी पैनल वकीलों के लिए**

  ईफाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) भारत के उच्चतम न्यायालय की समिति द्वारा 19 फरवरी, 2022 को.आयोजित किया गया।

  ख. मास्टर प्रशिक्षकों (वकीलों) के लिए **"सरकारी पैनल वकीलों के लिए ईफाइलिंग**

  और वर्चुअल हियरिंग" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) भारत के उच्चतम न्यायालय की समिति द्वारा 20 फरवरी, 2022 को.आयोजित किया गया।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:**

  क. कोविड लॉक डाउन प्रारंभ होने के समय से 31-01- 2022 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

  का प्रयोग करके जिला न्यायालय ने 1,11,40,223 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय में 60,21,668 मामलों (कुल1.71 करोड़ मामलों) की सुनवाई की गई।

ख. 31-01-2023 तक कुल 23 उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को लागू

किया है। इसके अतिरिक्त 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, 24 जिला अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का पालन किया है।

- **ई फाइलिंग:** 31-01-2022 तक कुल 17 उच्च न्यायालय ने ईफाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है। इसके अलावा, दिनांक 31-01-2022 क उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, 16 जिला अदालतों ने ई फाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है।
- **ई सेवा केंद्रः** 31-01-2022 तक 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 475 ई सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है।
- **ई भुगतान: दिनांक 31-01-2022 तक** कुल 17 उच्च न्यायालय ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में ई भुगतान लागू किया है जबकि न्यायालय फीस अधिनियम को 22 उच्च न्यायालयों में संशोधित कर दिया गया है।

5. न्यायिक सुधारों से संबंधित कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन की स्कीम:

- कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के तहत अंतिम किस्त के लिए भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल, विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी) बेंगलुरु को दिनांक 08-02-2022 को ₹5,69,672/- की राशि जारी की गई है।
- कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के तहत किए गए कार्यों के लिए अंतिम किस्त के लिए भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल, विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी) बेंगलुरु को दिनांक 08-02-2022 को ₹2,54,442य- की राशि जारी की गई है।
- न्यायिक सुधार पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए इस स्कीम के तहत नई स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला और दामोदरम संजीवय् राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम के साथ प्रगति समीक्षा बैठकें दिनांक 23-02-2022 और दिनांक 28-02-2022 को संयुक्त सचिव (एनएम) की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

6. **टेली लॉः वंचितों तक पहुंच**

- कानूनी सलाह 1,27,452 व्यक्तियों को प्रदान की गई जिसमें 45,423 महिलाएं, 46,912 अनुसूचित जाति के, 19,807 अनुसूचित जनजाति के और 38561 अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थी शामिल हैं। यह आंकड़ा अब तक किसी माह में दी गई सलाह से सर्वाधिक है। 28 फरवरी, 2022 तक दी गई कुल सलाह के मामलों की संख्या 14,89,997 थी।

7. कानूनी साक्षरता कार्यक्रम:

- कानूनी जागरूकता वेबीनार श्रंखला के भाग के रूप में, न्याय विभाग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर छठी परस्पर संवादात्मक वेबीनार 18 फरवरी, 2022 को आयोजित की।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,पैनल में शामिल एजेंसी, कानूनी बुद्धिजीवियों, साउथ दिल्ली नगर निगम की स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष और न्याय विभाग के प्रमुख वक्ताओं ने इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान किया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया। इस वेबीनार के माध्यम से 19,158 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।

xxxxxxxxxxxx